न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी, बिजौलियॉं, जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)

प्रकरण संख्या :– 75/23

तारीख दायर 28/4/23

रमेशचन्द्र पिता कालुलाल जाति मीणा, उम्र वयस्क निवासी किशनपुरा तहसील नमाना जिला बुन्दी (राज0)

.....प्रार्थी

बनाम्

1. शिव कुमार पिता नन्दलाल जाति मेवाडा उम्र वयस्क निवासी बिजौलियॉं तहसील बिजौलियॉं जिला भीलवाड़ा राज0
2. विजेश कुमार पिता नन्दलाल जाति मेवाडा उम्र वयस्क निवासी बिजौलियॉं तहसील बिजौलियॉं जिला भीलवाड़ा राज0
3. देवीलाल पिता हिरालाल जाति तेली उम्र वयस्क निवासी आनन्द भवन बिजौलियॉं तहसील बिजौलियॉं जिला भीलवाड़ा राज0
4. भु–स्वामी मार्फत तहसीलदार महोदय बिजौलियॉं तहसील बिजौलियॉं जिला भीलवाडा राज0

—विपक्षीगण

प्रार्थनापत्र अर्न्तगत धारा 11–128 रा0ले0रे0 एक्ट

:–आदेश:–

दिनांक 10/5/23

प्रार्थनापत्र **प्रार्थी श्री रमेशचन्द्र** ने जरिये अभिभाषक **श्री सुमित कुमार जोशी** प्रस्तुत कर निवेदन किया हैं कि मेरे एकल/संयुक्त खाते कि भुमि **मौजा ग्राम केसुविलास, पटवार हल्का जावदा, भु–अभिलेख निरिक्षक क्षैत्र बिजौलियॉं खुर्द, तहसील बिजौलियॉं जिला भीलवाड़ा (राज0) मे खाता संख्या 21 पर आराजी संख्या 463/115 रकबा 2 बीघा भुमि** स्थित हैं। विपक्षीगण आये दिन सीमा विवाद को लेकर झगड़ा फसाद करते हैं। अतः पत्थरगढी का आदेश प्रदान कराया जावें साथ में प्रार्थनापत्र की ताईद में शपथपत्र संलग्न हैं।

प्रार्थना पत्र रजिस्टर करवाया गया। प्रस्तुत पत्रावली पर विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी गयी और पत्रावली का अवलोकर किया गया।

पत्रावली में संलग्न जमाबंदी सम्वत **2074–2077** के अवलोकर से प्रार्थी वादग्रस्त आराजियात का खातेदार/गेर खातेदार काश्तकार हैं। पडोसियान के विवाद करने बाबत शपथपत्र संलग्न हैं। पत्थरगढी से किसी के स्वात्व पर कोई विपरीत प्रभाव नही पडता हैं।

अतः प्रार्थनापत्र अर्न्तगत धारा 111–128 राजस्थान लेण्ड़ रेवेन्यु एक्ट स्वीकार किया **मौजा ग्राम केसुविलास, पटवार हल्का जावदा, भु–अभिलेख निरिक्षक क्षैत्र बिजौलियॉं खुर्द, तहसील बिजौलियॉं जिला भीलवाड़ा (राज0) मे खाता संख्या 21 पर आराजी संख्या 463/115 रकबा 2 बीघा भुमि** की बाशामालात पड़ोसियान के पत्थरगढी करने हेतु आदेशित किया जाता हैं एवं पत्थरगढी शुल्क राशि 100/– रूपये राजकोष में जमा होने पर पलनार्थ तहसीलदार बिजौलियॉं को लिखा जावे।

प्रार्थनापत्र निर्णित होकर नम्बर से कम हों।

आदेश सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियॉं

उप खण्ड अधिकारी
बिजौलियां जिला-भीलवाड़ा

न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी बिजौलिया जिला भीलवाड़ा (राज0)

प्रकरण संख्या :–   तारीख दायर

प्रेषिति :–   28/4/23

तहसीलदार
बिजौलियाँ

विषय :– प्रकरण संख्या ......75/23...... प्रत्थरगढी बाबत्।

रमेशचन्द्र पिता कालुलाल जाति मीणा, उम्र वयस्क निवासी किशनपुरा तहसील नमाना जिला बुन्दी (राज0)

.....प्रार्थी

बनाम्

1. शिव कुमार पिता नन्दलाल जाति मेवाडा उम्र वयस्क निवासी बिजौलियॉ तहसील बिजौलियॉ जिला भीलवाड़ा राज0
2. विजेश कुमार पिता नन्दलाल जाति मेवाडा उम्र वयस्क निवासी बिजौलियॉ तहसील बिजौलियॉ जिला भीलवाड़ा राज0
3. देवीलाल पिता हिरालाल जाति तेली उम्र वयस्क निवासी आनन्द भवन बिजौलियॉ तहसील बिजौलियॉ जिला भीलवाड़ा राज0
4. भु–स्वामी मार्फत तहसीलदार महोदय बिजौलियॉ तहसील बिजौलियॉ जिला भीलवाडा राज0

––विपक्षीगण

उपर्युक्त विषयान्र्तत अनवानी प्रकरण में आदेश होकर लेख है कि **मौजा ग्राम केसुविलास, पटवार हल्का जावदा, भु–अभिलेख निरिक्षक क्षैत्र बिजौलियॉ खुर्द, तहसील बिजौलियॉ जिला भीलवाड़ा (राज0) मे खाता संख्या 21 पर आराजी संख्या 463/115 रकबा 2 बीघा भुमि** की बशमलात पड़ोसीयान के पत्थरगढी कब्जा जावें। मौके पर पत्थरगढी के दौरान कब्जा किसी अन्य का पाया जावे तो जारिये पत्थरगढी कब्जा नही हटाया जावे तथा समक्ष न्यायालय में वाद प्रस्तुत करने हेतु सूचित करें। आदेश पत्थरगढी हेतु भू–अभिलेख निरीक्षक **बिजौलियॉ खुर्द** को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस 500 तय कि जाती है वक्त मोके पर प्रार्थी अदा करेंगा। पत्थरगढी करने से पुर्व पडोसी एवं विपक्षीगणो को सुचित करते हुए पत्थरगढी करें।

पत्थरगढी कर पालना रिपोर्ट 20 दिन मे आवश्यक रूप से प्रस्तुत करें।

उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियॉ

उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा